Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में पटवारी 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *03 सितम्बर, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मोहनलाल पालीवाल पटवारी पटवार मण्डल नूर की भूर्ज अतिरिक्त चार्ज देदासरी तहसील बाप, जिला जोधपुर को परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि खसरा की तरमीम सही करने की एवज में मोहनलाल पालीवाल पटवारी पटवार मण्डल नूर की भूर्ज अतिरिक्त चार्ज देदासरी तहसील बाप, जिला जोधपुर द्वारा परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल निवासी सतानियों का बास, तहसील बाप, जिला जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल नूर की भूर्ज अतिरिक्त चार्ज देदासरी तहसील बाप, जिला जोधपुर को परिवादी से **5 हजार रुपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से पूर्व में ही **14 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।